2026:AHC:174525-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3585 वर्ष 2018

अमित कुमार ......अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ......प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : अखिलेश चंद्र शुक्ला, राजीव लोचन शुक्ला, सुभाष चंद्र पांडेय

प्रतिवादी(गण) की ओर से अधिवक्ता : अ.शा.अधि.

<u>**सुरक्षित**</u>

<u>**न्यायालय संख्या - 44**</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति श्री अचल सचदेव

1. यह आपराधिक अपील सत्र विचारण संख्या 216/2014 में अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.6.2018/14.6.2018 के विरुद्ध योजित की गई थी, जिसके द्वारा अभियुक्त नाथी राम गुर्जर एवं अमित कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था तथा 25000/- रुपये के प्रत्येक पर अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में, उनमें से प्रत्येक को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना था।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated version. Not for Legal Use.

2. अभियुक्त नाथी राम गुर्जर की अपनी अपील, जो आपराधिक अपील संख्या 3560/2018 थी, के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो चुकी है, और इसलिए, आपराधिक अपील संख्या 3560/2018 दिनांक 16.7.2026 को उपशमित हो गई।

3. महावीर सैनी नामक एक व्यक्ति की मृत्यु पर, उनके भतीजे सुशील कुमार ने 22.9.2013 को लगभग 3.45 अपराह्न पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि महावीर सैनी, जो उनके चाचा थे और सहारनपुर जिले के खेड़ा मुगल में रह रहे थे, अपने मकान के घेर में सो रहे थे। 22.9.2013 की सुबह लगभग 4.00 पूर्वाह्न पर, नाथी राम गुर्जर और उनका बेटा अमित प्रथम सूचनाकर्ता के चाचा के घर आए और उन्हें नाम से पुकारा तथा तत्पश्चात उन्हें अपने साथ कहीं ले गए। प्रथम सूचनाकर्ता के संबंध में यह कहा गया कि वह सहारनपुर का निवासी था और घटना के पूर्व दिवस पर, वह अपने चाचा महावीर सैनी के साथ रुकने आया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पहले यह कहा गया था कि जब सुबह 9-10 बजे तक चाचा वापस नहीं आए तो प्रथम सूचनाकर्ता चिंतित हुआ और उस समय ब्रजपाल नामक एक व्यक्ति ने प्रथम सूचनाकर्ता को सूचित किया कि उसे पुलिस से एक फोन कॉल प्राप्त हुआ था, जिसने उसे सूचित किया था कि प्रथम सूचनाकर्ता के चाचा महावीर सैनी जली हुई अवस्था में पाए गए थे और सहारनपुर के एक चिकित्सालय में भर्ती थे। यह सूचना प्राप्त होने पर, प्रथम सूचनाकर्ता गौरव, विनय और 10-15 अन्य ग्रामीणों के साथ सहारनपुर चिकित्सालय गया जहाँ उन्होंने पाया कि महावीर सैनी जली हुई अवस्था में एक बिस्तर पर पड़े हुए थे। प्रथम सूचनाकर्ता के विरुद्ध यह अभिकथित था कि उसे सूचित किया गया कि नाथी राम और चाचा महावीर के मध्य कुछ रुपयों का लेनदेन हुआ था और उस संबंध में कुछ विवाद भी हुआ था। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि नाथी राम और उसके बेटे अमित ने उसके चाचा को जीवित जला दिया था। प्रथम सूचनाकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की प्रार्थना की थी।

4. 22.9.2013 को ही, मृतक का एक मृत्यु पूर्व कथन भी लगभग 1.00 अपराह्न पर अभिलिखित किया गया था। मृत्यु पूर्व कथन को यहाँ निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है :-

"मृत्यु पूर्व बयान

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

प्रारम्भ - समय 1.05 PM में महावीर पुत्र श्री मनीराम आयु 55 वर्ष नि0 खेड़ा मुगल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर शपथपूर्वक बयान देता हूँ कि मैं आज दिनांक 22.09.13 को प्रातः चार बजे घर में सो रहा था तभी मेरे मोबाइल नं0 पर नाथी S/o अतर सिंह ने फोन करके मुझे खेत में बुलाया। मैं खेत पर पहुँचा तो वहां नाथी पुत्र अतर सिंह निवासी खेड़ा मुगल के साथ अमित S/o अतर सिंह नि0 खेड़ा मुगल थाना देवबन्द जि0 सहारनपुर भी उपस्थित था। मेरा उन दोनों से लेन-देन को लेकर पूर्व से ही विवाद था। उक्त दोनों ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। मैं वहां से चिल्लाकर भाग लिया तथा रास्ते पर आकर गिर पड़ा। उसके बाद गांव के लोगो ने मेरे कपड़ो में लगी आग को बुझाया तब तक मैं जल चुका था। मुझे नाथी पुत्र अतर सिंह व अमित S/o अतर सिंह दोनों निवासी खेड़ा मुगल ने जलाया है। बयान सुनकर तस्दीक किया।

उपर्युक्त मृत्यु पूर्वक बयान मेरे द्वारा तहसीलदार सदर सहारनपुर के आदेश अनुपालन में दर्ज किया गया।

बयान समाप्त का समय= 1:20 PM"

5. चूंकि पुलिस सक्रिय हो गई थी, इसलिए उसने सफेद रंग का प्लास्टिक का जेरीकैन भी अपने अभिरक्षा में लिया था जिसमें एक लीटर मिट्टी का तेल था। उन्होंने एक जोड़ी चप्पल और एक आधी जली हुई ऊनी चादर भी बरामद की थी। मृत्यु पूर्व कथन अभिलिखित किए जाने से पूर्व, 22.9.2013 को ही 10.15 पूर्वाहन पर चिकित्सीय परीक्षण किया गया था और इसमें यह कहा गया था कि लगभग 55 वर्ष की आयु के एक अज्ञात व्यक्ति का, जिसके माता-पिता के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं था, परीक्षण किया गया। यह भी उल्लेख किया गया था कि निवास आदि भी अज्ञात था। घायल को एंबुलेंस संख्या ईएमटी 108 द्वारा लाया गया था और चालक भीम सिंह था जिसका पहचान क्रमांक 1268 था। परीक्षण में विशेष रूप से यह कहा गया था कि रोगी के विशेष रूप से सिर से पैर तक सतही और गहरे जलन के घाव थे। उसकी सामान्य स्थिति बहुत खराब थी और उसे भर्ती किया गया तथा शल्य चिकित्सक के पास भेजा गया। प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण ईएमओ, एसबीडी चिकित्सालय, सहारनपुर द्वारा किया गया था। इसे प्रदर्श क-15 के रूप

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

में प्रदर्शित किया गया था। तत्पश्चात जब रोगी को भर्ती किया गया और एक बेड-हेड टिकट तैयार किया गया, तब भी प्रारंभ में उसके नाम के आगे 'अज्ञात' लिखा गया था और यहाँ तक कि 'पुत्र' के कॉलम में भी 'अज्ञात' लिखा गया था। पता भी 'अज्ञात' के रूप में उल्लिखित था। बेड-हेड प्रलेखों को प्रदर्श क-16 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इस प्रलेख में ध्यान देने योग्य तथ्य यह था कि 'अज्ञात' शब्द के ऊपर, तत्पश्चात रोगी महावीर का नाम अंग्रेजी में लिखा गया था और 'अज्ञात' शब्द के दाईं ओर, हिंदी में महावीर लिखा गया था। इसके अतिरिक्त, पिता का नाम प्रारंभ में 'अज्ञात' लिखा गया था, परंतु तत्पश्चात, 'अज्ञात' शब्द के ऊपर, 'मनीराम का पुत्र' लिखा गया था। इसी प्रकार, 'अज्ञात' शब्द के ठीक बगल के स्थान में पता भी दिया गया था। 22.9.2013 को रोगी को एक उच्चतर संस्थान के लिए संदर्भित किया गया था। तत्पश्चात जब 23.9.2013 को रोगी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु समीक्षा परीक्षण किया गया और मृत्यु का कारण प्रघात तथा मृत्यु पूर्व जलने की चोट थी। 25.11.2013 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी प्राप्त की गई थी। चप्पलों की जोड़ी को '1' के रूप में चिह्नित किया गया था, जले हुए कपड़ों को '2' के रूप में चिह्नित किया गया था और प्लास्टिक के जेरीकैन को '3' के रूप में चिह्नित किया गया था तथा मिट्टी के तेल की उपस्थिति दर्शायी गयी थी। 23.9.2013 को पंचायतनामा तैयार किया गया था। यद्यपि, पंचायतनामा में, प्रारंभ का समय नहीं दिया गया था, यद्यपि समाप्ति का समय 23.9.2013 को 9.45 अपराह्न दिया गया था। तत्पश्चात 28.5.2014 को उपलब्ध साक्ष्य पर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 10, सहारनपुर ने आरोप विरचित किए और नाथी राम तथा अपीलकर्ता-अमित पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत हत्या का आरोप लगाया गया।

6. जब अभियुक्तों ने आरोपों को अस्वीकार किया, तब विचारण प्रारम्भ हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ साक्षियों का परीक्षण किया गया।

7. अभि.सा .-1, सूचनाकर्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तों के नाम नाथी राम और अमित बताए थे। अभि.सा .-1 ने कथन किया था कि यद्यपि वह पिछले 10 वर्षों से सहारनपुर में रह रहा था, घटना की तिथि से पूर्व रात्रि को वह अपने चाचा के साथ रहने आया था। फिर उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसमें अंतर्विष्ट अंतर्वस्तु को सिद्ध किया। उसने कथन किया था कि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

उसके चाचा के प्रातःकाल नाथी राम और अमित के साथ जाने के बाद, वह सोने चला गया था। यद्यपि, जब वह सुबह 9.00 बजे तक नहीं आए तो उसने अपने चाचा को ढूंढ़ना प्रारम्भ कर दिया। पहले वह नाथी राम के घर गया जहाँ उसे कोई नहीं मिला। उसने फिर कथन किया कि गाँव के ब्रजपाल सैनी ने उसे सुबह 10.00 या 10.30 बजे फोन किया था और उसने उसे बताया था कि उसे खेड़ा मुगल पुलिस चौकी से एक फोन कॉल प्राप्त हुआ था कि महावीर जली हुई अवस्था में पाए गए थे और एक राजकीय चिकित्सालय में भर्ती थे। उसने फिर कथन किया कि वह मृतक के पुत्र गौरव और दूसरे चाचा के पुत्र विनय तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ चिकित्सालय गया। उसने तब कथन किया कि सूचनाकर्ता के पिता महेंद्र पाल, उसका भाई अनिल, एक अन्य चाचा मुकेश और गाँव का एक प्रकाश नामक व्यक्ति बेहतर उपचार के लिए दिल्ली प्रस्थान कर गए और वह स्वयं गाँव वापस आ गया था। उसने तत्पश्चात पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई थी। प्रतिपरीक्षा में, उसने कथन किया था कि वह हरिद्वार में नौकरी कर रहा था। यह प्रश्न पूछे जाने पर कि उसके दादा कौन थे, उसने बताया था कि उसके दादा का नाम मनीराम था और गाँव में उनकी संपत्ति थी। उनकी मृत्यु घटना की तिथि से दो या तीन वर्ष पूर्व हुई थी और उनकी मृत्यु के पश्चात, उसके पिता महेंद्र और उसके चाचा महावीर के मध्य एक प्रबंध हुआ था। सहारनपुर के राधा विहार स्थित मकान का निर्माण उसके दादा द्वारा कराया गया था और वह एक संयुक्त संपत्ति थी। उसने फिर कथन किया कि उसके हिस्से में गाँव का मकान और राधा विहार का मकान था। महावीर ने गाँव में नए मकान का निर्माण कराया था। उसने कथन किया था कि उसके दादा ने उसके पिता और चाचा महावीर के नाम पर पाँच बीघा भूमि क्रय की थी। मृतक चाचा का पुत्र गौरव था और वह प्रतिदिन गाँव से हरिद्वार कॉलेज जाता था। उसने कथन किया कि यह कहना अनुचित था कि सूचनाकर्ता के परिवार और मृतक के परिवार के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। घटना के समय, सूचनाकर्ता के पास दो मोबाइल नंबर 9456025682 और 9997108506 थे। उसने स्पष्ट रूप से अस्वीकृत किया कि मोबाइल नंबर 9997108506 का उपयोग मृतक महावीर द्वारा किया जाता था। उसने कथन किया कि इस नंबर का उपयोग उसके द्वारा उस तिथि को भी किया जा रहा था जब वह न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दे रहा था। उसने फिर अपने पिता का टेलीफोन नंबर दिया जो 9457823745 था। उसने कथन किया कि ब्रजपाल

Translated version. Not for Legal Use

ने उसे मोबाइल नंबर 9997108506 पर कॉल किया था जब उसने उसे इस तथ्य की सूचना दी थी कि मृतक जली हुई अवस्था में घायल था और एक चिकित्सालय में भर्ती था। आगे की प्रतिपरीक्षा में, उसने कथन किया कि उसे ब्रजपाल का वह नंबर याद नहीं था जिससे उसने उसे कॉल किया था। उसने फिर कथन किया कि गाँव में उसका अपना मकान मृतक के मकान से 70-80 मीटर दूर था। उसने कथन किया कि वह लगभग 11.30 पूर्वाह्न से 12.00 दोपहर के मध्य चिकित्सालय पहुँचा था। रोगी को दोपहर लगभग 12:00 बजे उच्चतर विशेष चिकित्सा देखभाल के लिए भेजा गया था।

8. अभि.सा.-2 मृतक की पत्नी थी। उसने भी कथन किया था कि नाथी राम और अमित उसके पति को बुलाने के लिए सुबह 4.00 बजे उसके घर आए थे। उसने ब्रजपाल से प्रथम सूचनाकर्ता सुशील कुमार को सूचना प्राप्त होने के संबंध में वही कहानी जारी रखी। प्रतिपरीक्षा में, उसने कथन किया कि वह रुपयों आदि के बारे में अनभिज्ञ थी जो उसके पति द्वारा ग्रामीणों से लिए गए हो सकते थे। यद्यपि, उसने कथन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उसका कथन 4-5 दिनों के बाद अभिलिखित किया गया था।

9. अभि.सा.-3 प्रेम पाल सिंह नायब तहसीलदार थे जिन्होंने मृत्यु पूर्व कथन अभिलिखित किया था। उन्होंने मृत्यु पूर्व कथन को सिद्ध किया था और कथन किया था कि घायल द्वारा जो कहा गया था, वह उनके द्वारा अभिलिखित किया गया था। उन्होंने आगे कथन किया था कि उन्होंने मृत्यु पूर्व कथन पर रोगी महावीर का अंगुष्ठ छाप लिया था। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कथन किया कि जिस आदेश द्वारा तहसीलदार ने अभि.सा -3 को मृत्यु पूर्व कथन अभिलिखित करने का निर्देश दिया था, वह प्रदर्श क-3 के साथ संलग्न था और उस पर "नाथी राम पुत्र अतर सिंह" और "अमित पुत्र" के नाम लिखे थे तथा वे एक अलग स्याही में लिखे गए थे। उन्होंने कथन किया कि उन्हें याद नहीं था कि "नाथी राम पुत्र अतर सिंह" और "अमित पुत्र" के रूप में लिखे गए नाम वहां थे या उन्हें काट दिया गया था। उन्होंने आगे कथन किया कि जब वह रोगी का कथन लेने चिकित्सालय पहुँचे तो उनका कोई भी रिश्तेदार उनके समीप नहीं था और वह किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने आगे कथन किया कि किसी भी विवेचना अधिकारी द्वारा उनका धारा 161 के अंतर्गत कोई कथन नहीं लिया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया कि कथन

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अभिलिखित होने के बाद डॉक्टर ने इस आशय का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया था कि रोगी स्वस्थ चित्त अवस्था में था।

10. अभि.सा.-4 डॉ. महेश ग्रोवर थे। उन्होंने कथन किया कि शव की पहचान महेंद्र पाल के पुत्र अनिल कुमार द्वारा और मृतक के भाई महेंद्र पाल द्वारा की गई थी। डॉक्टर ने कथन किया कि पैर के तलवे के अतिरिक्त पूरा शरीर जल चुका था। उन्होंने यह भी कथन किया कि जहाँ शरीर जला था, वहाँ की त्वचा उधड़ गई थी। यद्यपि, उन्होंने पुरजोर रूप से कथन किया कि मिट्टी के तेल की तनिक भी गंध नहीं थी।

11. अभि.सा.-5 उप-निरीक्षक राम पाल सिंह थे। उन्होंने कथन किया कि उन्होंने पंचायतनामा तैयार किया था। उन्होंने कथन किया कि उन्होंने मृतक और अभियुक्तों का पूरा विवरण लिया था। उन्होंने यह भी कथन किया कि उन्होंने नायब तहसीलदार का कथन अभिलिखित किया था (यह नायब तहसीलदार द्वारा दिए गए उस कथन के विपरीत था कि उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत कभी अपना कथन अभिलिखित नहीं कराया था)। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि उन्होंने कभी भी वह समय उल्लेखित नहीं किया कि कोई विशिष्ट विवेचना कब की गई थी। इसके अतिरिक्त, पुलिस उपाधीक्षक के हस्ताक्षरों के नीचे तिथि नहीं थी। यद्यपि, उन्होंने किसी भी प्रलेख को पूर्व-दिनांकित या पूर्व-समय अंकित करने से अस्वीकार किया। उन्होंने कथन किया कि उन्होंने भीम सिंह अर्थात् उस एंबुलेंस के चालक का भी कथन नहीं लिया था जिसके द्वारा मृतक चिकित्सालय पहुँचा था। उन्होंने यह भी कथन किया कि उन्होंने विनय और गौरव का कथन नहीं लिया था जिनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में थे। विवेचना के दौरान, उन्होंने कथन किया कि उन्हें मृतक का मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ था।

12. अभि.सा. -6 चिक लेखक थे। उन्होंने कथन किया कि घटना की कोई विशेष रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को नहीं प्रेषित की गई थी।

13. अभि.सा. -7 वह आरक्षी (कांस्टेबल) थे जो शव को शवगृह ले गए थे।

14. अभि.सा-8 डॉ. कुणाल जैन थे जिन्होंने रोगी को एसबीडी चिकित्सालय में भर्ती किया था और अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया था कि भीम सिंह रोगी को चिकित्सालय

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated version. Not for Legal Use.

लाया था तथा रोगी का नाम एवं अन्य विवरण ज्ञात नहीं थे। उन्होंने कथन किया कि मिट्टी के तेल की कोई गंध नहीं थी। वास्तव में पुरजोर रूप से उन्होंने कथन किया कि यदि मिट्टी के तेल की कोई गंध होती, तो वे निश्चित रूप से उस दस्तावेज में रिपोर्ट करते जो उन्होंने तैयार किया था। उन्होंने कथन किया कि जब तक रोगी का उपचार किया गया तब तक वह बोलने के लिए स्वस्थ अवस्था में नहीं था। डॉ. कुणाल का 3.4.2017 को उनका पूर्व कथन दिए जाने के बाद 12.2.2018 को पुनः परीक्षण किया गया था। उन्होंने आगे कथन किया कि कथन अभिलिखित होने के बाद, उन्होंने कथन किया कि यह 1.20 अपराह्न पर समाप्त हुआ और उन्होंने यह भी कथन किया कि वह पूरे समय मजिस्ट्रेट के साथ वहीं थे।

15. अभि.सा-9 डॉ. राजेश डंग थे। उन्होंने विवरण दिया कि बेड-हेड टिकट कैसे भरा गया था।

16. तत्पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों के कथन अभिलिखित किए गए। अभियुक्त नाथी राम ने एक शपथ पत्र भी दिया था जिसमें उसने कथन किया था कि वास्तव में मृतक का सगा भाई महेंद्र ही मृतक की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था क्योंकि महेंद्र सदैव गाँव की संपत्ति में मृतक का हिस्सा खरीदना चाहता था और क्योंकि मृतक ने जिस दिन उसकी हत्या की गई थी उसके अगले दिन नाथी राम को संपत्ति विक्रय करने का प्रबंध किया था, पूरी कहानी गढ़ी गई थी और नाथी राम को अभियुक्त बनाया गया था।

17. बचाव साक्षी के रूप में, भीम सिंह को बचाव साक्षी -1 के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उसने कथन किया कि उसे तब सूचना मिली थी जब वह लखनऊ में था और उसे केवल यह सूचना मिली थी कि खेड़ा मुगल क्षेत्र में घायल अवस्था में एक व्यक्ति था और उसे चिकित्सालय ले जाना था। यह सूचना उसे सुबह 9.30 से 9.45 बजे के मध्य मिली थी। उसने कथन किया कि सुसंगत समय पर किसी ने भी उसे नहीं पहचाना था।

18. बचाव साक्षी -2 बलवीर नामक व्यक्ति था। उसने भी वही कथन किया जो नाथी राम ने अपने शपथ पत्र में कथन किया था कि महावीर गाँव में संपत्ति में अपना हिस्सा बेचने जा रहा था और उसके लिए उसने एडवांस के रूप में दो लाख रुपये भी लिए थे। मृतक का सगा भाई महेंद्र और उसका परिवार कभी नहीं चाहता था कि संपत्ति परिवार के बाहर किसी को विक्रय की जाए और इसलिए, उन्होंने मृतक की हत्या कर दी थी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

19. जब विचारण पूर्ण हुआ और निर्णय सुनाया गया तथा सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत हत्या का दोषी ठहराया और अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया, तो वर्तमान अपील दायर की गई।

20. अपीलकर्ता की ओर से श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला उपस्थित हुए और निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए :-

i. मृतक की 22.9.2013 को मृत्यु होने के पश्चात, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो 22.9.2013 को 3.45 अपराह्न पर दर्ज की गई थी, उसमें उस सूचना के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था जिसे मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना अपेक्षित था और इसलिए, यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट उचित समय के भीतर नहीं प्रेषित की जाती है, तो संपूर्ण विवेचना एक दिखावटी विवेचना बन जाएगी। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने **(1994) 5 एससीसी 188** में प्रतिवेदित किए गए **मेहराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का सन्दर्भ दिया।

ii. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन का पूरा वाद तब असत्य सिद्ध हो गया जब प्रथम सूचनाकर्ता यह कह रहा था कि नाथी राम और अमित सुबह लगभग 4.00 बजे मृतक के घर आए थे और उसे अपने साथ ले गए थे। यद्यपि, मृत्यु पूर्व कथन में घायल द्वारा यह कहा गया था कि उसे एक फोन कॉल प्राप्त हुआ था और उसे नाथी राम और अमित द्वारा पास के एक खेत में बुलाया गया था।

iii. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि यहाँ तक कि अभि.सा-2, मृतक की विधवा ने भी कथन किया था कि यह अभियुक्त ही थे जो घर आए थे और तत्पश्चात मृतक को ले गए थे, परंतु अभि.सा -1 और अभि.सा-2 द्वारा जो कहा गया था उसके सर्वथा विपरीत मृत्यु पूर्व कथन में यह अभिलिखित किया गया था कि सुबह 4.00 बजे जब घायल महावीर सो रहा था, उसे अपने मोबाइल पर एक फोन कॉल आया और नाथी राम ने उसे किसी खेत में बुलाया था। यह स्वयं वाद को विशेष रूप से मृत्यु पूर्व कथन के सम्बन्ध में अभियोजन के वाद को संदेहास्पद बनाता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

iv. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि अभियोजन के अनुसार जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उससे पूर्व ब्रजपाल ने प्रथम सूचनाकर्ता को मृतक के बारे में सूचित किया था और यह कहा गया था कि ग्रामीणों द्वारा मृतक को जली हुई अवस्था में पाए जाने के पश्चात, उसे ग्रामीणों द्वारा चिकित्सालय ले जाया गया था। यद्यपि, प्रवेश फॉर्म से पता चला कि घायल को एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में भर्ती कराया गया था। उस पर उसका पता भी नहीं दिया गया था। केवल इतना कहा गया था कि उसे एंबुलेंस संख्या ईएमटी 108 द्वारा लाया गया था और चालक भीम सिंह था जिसका पहचान क्रमांक 1268 था।

v. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि मृतक का पुत्र मृतक के साथ रह रहा था परंतु उसे कुछ भी कहने के लिए कठघरे में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया।

vi. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि यदि मृत्यु पूर्व कथन को देखा जाए तो नाथी राम और अमित दोनों के पिता का नाम अतर सिंह के पुत्रों के रूप में दिया गया था। वह आगे तर्क देते हैं कि वास्तव में महावीर बोलने की स्थिति में नहीं था और कपटपूर्वक संपूर्ण मृत्यु पूर्व कथन तैयार किया गया था। वह अभि.सा -3, नायब तहसीलदार के कथन की ओर संकेत करते हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया था कि जिस प्रलेख द्वारा उन्हें जाने और मृतक का कथन अभिलिखित कराने का निर्देश दिया गया था, उसके बाईं ओर एक अलग स्याही में मृतक का नाम था। विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि वास्तव में मृतक, जो अपना मृत्यु पूर्व कथन देते समय जली हुई अवस्था में था, यह नहीं जानता था कि वास्तव में किसने उसकी **हत्या करने का प्रयास** किया था परंतु नाथी राम और उसके पुत्र अमित के नाम तहसीलदार के निर्देशों पर सम्मिलित किए गए थे। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि यह प्रलेख जिसके द्वारा तहसीलदार ने नायब तहसीलदार को कथन अभिलिखित करने का निर्देश दिया था, प्रदर्शित नहीं किया गया था परंतु नायब तहसीलदार ने इसे इस दृष्टि से साबित किया था कि उसने न्यायालय में प्रदर्श संख्या 3, जो कि एक मृत्यु पूर्व कथन था, के साथ संलग्न प्रलेख पाया था और उस पर प्रश्न पूछे गए थे और इस प्रकार इसे एक सिद्ध प्रलेख माना जाएगा। यह तर्क देने के लिए कि यदि मृत्यु पूर्व कथन में विरोधाभास हैं तो उसे निराकृत कर दिया जाएगा, विद्वान

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अधिवक्ता ने **(2025) 4 एससीसी 794** में प्रतिवेदित **सुरेश बनाम राज्य : पुलिस निरीक्षक** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सन्दर्भ दिया।

21. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि यहाँ तक कि उस डॉक्टर ने भी जिसने घायल को अपने चिकित्सालय में भर्ती किया था, कथन किया था कि रोगी से मिट्टी के तेल की कोई गंध नहीं पाई गई थी। इसलिए, वह तर्क देते हैं कि मिट्टी के तेल से महावीर को जलाने की कहानी मनगढ़ंत थी। वह तर्क देते हैं कि एक जेरीकैन जो बरामद की गई थी, उससे भी पता चला कि जेरीकैन में एक लीटर मिट्टी का तेल था और इसलिए वह तर्क देते हैं कि यदि मृतक महावीर को जलाने के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाना था तो पूरा मिट्टी का तेल उस पर उड़ेल दिया गया होता और जेरीकैन में एक लीटर मिट्टी का तेल नहीं बचा होता। इसलिए, वह तर्क देते हैं कि मृतक के बगल में एक लीटर मिट्टी के तेल वाला जेरीकैन रखकर केवल एक साक्ष्य गढ़ा गया था।

22. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, इसलिए, तर्क देते हैं कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक सीधा प्रकरण था जहाँ कड़ियाँ इस प्रकार नहीं जुड़ीं जिससे साक्ष्य की वह श्रृंखला पूरी हो सके जो न्यायालय को यह विश्वास कराये कि अभियुक्त और सिर्फ अभियुक्त ने ही अपराध किया था।

23. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मुनि राज मेहरोत्रा ने तर्क दिया कि यह एक स्पष्ट और सीधा वाद था क्योंकि पूरी घटना की सभी कड़ियाँ जुड़ रही थीं। प्रथम सूचनाकर्ता जो मृतक का भतीजा था, उसका नाम सुशील कुमार था और वह मृतक के घर में रह रहा था और इसलिए, जब उसने कथन किया था कि जब अभियुक्त सुबह 4.00 बजे मृतक को बुलाने आए थे तो इसके अतिरिक्त कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि अभियुक्त मृतक को अपने साथ ले गए थे और तत्पश्चात उसे जलाकर मार डाला था और इसलिए, वह तर्क देते हैं कि कहानी की पूरी कड़ी जुड़ रही थी और अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को उचित रूप से दोषसिद्ध किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इससे बहुत कम प्रभाव पड़ता है कि मृत्यु पूर्व कथन में नाथी राम और अमित को अतर सिंह का पुत्र बताया गया था। ऐसी त्रुटियाँ अक्सर होती रहती हैं और इसलिए, इस प्रकार की गई गलतियों के कारण अभियुक्त द्वारा कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता था। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वह प्रलेख जिस पर अभि.सा-3 से

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

प्रश्न पूछे गए थे, एक प्रदर्शित प्रलेख नहीं था और इसलिए, उस प्रलेख के सन्दर्भ में पूछे गए किसी भी प्रश्न पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि पुलिस आख्या नहीं भी प्रेषित की गई थी तो भी इससे अभियोजन के वाद पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मुनि राज मेहरोत्रा को सुनने के पश्चात, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अभियोजन की कहानी यह थी कि जब मृतक महावीर 22.9.2013 को सुबह लगभग 4.00 बजे अपने घर में सो रहा था, तो अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतक को व्यक्तिगत रूप से उसके घर से ले जाया गया था। तत्पश्चात जब मृतक 4-5 घंटे बीत जाने के बाद भी वापस नहीं आया और जब प्रथम सूचनाकर्ता को ब्रजपाल नामक व्यक्ति से सूचना प्राप्त हुई कि उसे एक फोन कॉल आया था कि महावीर सैनी एक चिकित्सालय में पाए गए हैं, तो प्रथम सूचनाकर्ता चिकित्सालय पहुँचा और तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। हम यह भी पाते हैं कि जिस डॉक्टर ने घायल रोगी महावीर को देखा था, उसने उसके नाम या उसके निवास के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया था। इसलिए, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि पुलिस को यह कैसे पता चला कि यह महावीर ही था जो जल गया था और पुलिस ने ब्रजपाल को इस तथ्य के बारे में कैसे सूचित किया था।

25. इसके अतिरिक्त, हमें यह असामान्य प्रतीत होता है कि ब्रजपाल ने तत्पश्चात प्रथम सूचनाकर्ता को इस तथ्य के बारे में सूचित किया कि महावीर एक चिकित्सालय में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। ब्रजपाल की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए थी कि उसे घटना के बारे में मृतक के पुत्रों को सूचित करना चाहिए था। हम यह भी पाते हैं कि पुलिस आख्या निश्चित रूप से कभी नहीं प्रेषित की गई थी और इसलिए, यह निश्चित रूप से अभियोजन के वाद को खतरे में डालती है। इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि मृत्यु पूर्व कथन में, इस तथ्य के बावजूद कि रोगी 95% जल चुका था और वह बात करने की स्थिति में नहीं था, फिर भी एक मृत्यु पूर्व कथन अभिलिखित किया गया था और जले हुए रोगी का अंगुष्ठ छाप भी लिया गया था। हम यह भी पाते हैं कि यदि रोगी ने मृत्यु पूर्व कथन उस प्रणाली से अभिलिखित कराया होता जिस प्रणाली से उसने अभिलिखित कराया था, तो निश्चित रूप से वह अपने होश में होता और चूंकि वह नाथी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated version. Not for Legal Use.

राम और अमित के पिता के नाम के बारे में जानता था, तो वह निश्चित रूप से अमित के पिता का नाम सही देता। वह प्रलेख जिस पर नायब तहसीलदार से प्रश्न पूछे गए थे, वह प्रलेख था जो तहसीलदार द्वारा नायब तहसीलदार को प्रेषित किया गया एक पत्र था और उसके बाएं कोने पर, नायब तहसीलदार ने एक अलग स्याही में नाथी राम और अमित के नाम घसीट कर लिखे हुए पाए थे। इस प्रकार एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि जब जला हुआ रोगी बोलने में असमर्थ था, तब नायब तहसीलदार के हस्तलेख में एक मृत्यु पूर्व कथन तैयार किया गया था और मृत्यु पूर्व कथन में अभियुक्तों के नाम सम्मिलित किए गए थे। यद्यपि, चूंकि तहसीलदार द्वारा नायब तहसीलदार को प्रेषित किये गए पत्र में नाथी राम और अमित के घसीट कर लिखे गए नाम थे, इसलिए नाम सम्मिलित किए गए थे। चूंकि प्रलेख में अमित के पिता के नाम का उल्लेख नहीं था, इसलिए हम आसानी से यह उपधारणा बना सकते हैं कि नायब तहसीलदार ने यह उपधारणा बनाई होगी कि अमित भी अतर सिंह का पुत्र हो सकता है। ये सभी न्यायालय के मन में गहरा संदेह उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार इसके पास यह निष्कर्ष निकालने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है कि चूंकि अभियोजन पक्ष में इतनी कमियाँ थीं, वाद पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है और इस प्रकार, सत्र विचारण संख्या 216/2014 में अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 13.6.2018/14.6.2018 विधि की दृष्टि में अपोषणीय है।

26. उपर्युक्त सभी कारणों से, अपील स्वीकृत की जाती है। सत्र विचारण संख्या 216/2014 में अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.6.2018/14.6.2018 अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता अमित, यदि किसी अन्य आपराधिक वाद में वांछनीय न हो, तो उसे तत्काल मुक्त कर दिया जाए।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

जीएस

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated version. Not for Legal Use.